फर्द अहकाम

लाली देवी **बनाम** सुदेश देवी

ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	~~दावा 07 / 2025~~	
.05.2025	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष में बार-बार आवाजें लगवाई गई ना तो वादी स्वयं उपस्थित हुए ना तो वादी की ओर से कोई वकील उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	